UPRP010023642026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 9, रामपुर।

उपस्थित–**सुमित पंवार** एच०जे०एस०

(J.O.Code–UP2692)

क्रिमिनल रिवीजन संख्या 90/2026

रजि० नं०–91/2026

हिफजुल कबीर पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मौहल्ला गोदापुरी कस्बा व थाना टाण्डा, जिला रामपुर।----------**निगरानीकर्ता।**

–प्रति–

1–नदीम पुत्र अनवार

2–वसीम पुत्र अनवार

3–आसिफ पुत्र अखलाक

4–हासिम पुत्र अबरार निवासीगण मौहल्ला नूरुल्ला तब्बाबुल उलूम मदरसे के पास कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद।

5–आबिद पुत्र नामालूम निवासी ग्राम उदुपुरा थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद।

6–सरकार उ०प्र०।---------- **विपक्षीगण।**

निर्णय

1. निगरानीकर्ता हिफजुल कबीर की ओर से यह क्रि० रिवीजन, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं०–1, रामपुर के द्वारा परिवाद सं० 156/2025 हिफजुल कबीर बनाम नदीम आदि, थाना कोतवाली, जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांकित 16.03.2026 से क्षुब्द्ध होकर योजित की गयी है।

2. निगरानीकर्ता द्वारा क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 226 बी०एन०एस०एस० में पारिवाद खारिज आदेश पारित किया है जो विधि के प्राविधानों के विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। आदेश अवर न्यायालय खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी निवासी मौहल्ला गोदापुरी कस्बा व थाना टाण्डा, जिला रामपुर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की आबिद अली पुत्र नामालूक निवासीग उदुपुरा, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद से रूपयों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। उपरोक्त व्यक्ति ने प्रार्थी से रूपये उधार लिये थे, रूपये वापिस करने का समय निकलने के बाद भी उपरोक्त व्यक्ति से बार

Digitally signed by Sumit Panwar
Date: 2026.08.03 03:19:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बार रूपये मांगने पर भी उपरोक्त व्यक्ति ने रूपये देने से साफ इंकार कर दिया। तब प्रार्थी ने उपरोक्त व्यक्ति से कानूनी कार्यवाही करने को कहा तो उपरोक्त व्यक्ति ने प्रार्थी को कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी और आए दिन मौका देख कर जान से मारने का प्रयास किया। दिनांक 30.03.2024 को समय करीब 06 बजे शाम स्वार से पहले उपरोक्त व्यक्ति व 2 व्यक्ति अज्ञात के द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट लूटपाट की गयी थी जिसके संबंध में प्रार्थी ने एक मुकदमा थाना स्वार पर मु०अ०सं० 0143/2024 पंजीकृत कराया था जिसको वापिस लेने का उपरोक्त व्यक्ति व साथ में अन्य व्यक्ति प्रार्थी से दवाब बनाने लगे। प्रार्थी ने मुकदमा वापिस लेने से मना कर दिया। दिनांक 17.02.2025 को प्रार्थी मुकदमे की पैरवी करने के सिलसिले में रामपुर अपने वकील साहब के पास आया था वापिस जाते व्यक्त समय लगभग साय 6.30 बजे प्रार्थी तोपखाने रोड़ से प्रानधुर वाले रास्ते पर बाग के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से मौजूद प्लान के अनुसार नदीम पुत्र अनवार, वसीम पुत्र अनवार, आसिफ पुत्र अखलाक, हासिम पुत्र अबरार निवासीगण मौ० नूरुल्ला तब्बाबुल उलूम मदरसे के पास कुन्दरकी जिला मुरादाबाद, आबिद पुत्र नामालूम निवासी ग्राम उदुपुरा थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद मिले और प्रार्थी को रोक लिया और प्रार्थी के साथ सभी लोगों ने गाली देते हुए मारपीट शुरू कर दी कि मुकदमा वापिस लेने को बोला था परन्तु तेरी समझ में नहीं आयी तू तो तू तेरा बाप भी मुकदमा वापिस लेगा, मारने पीटने लगे। प्रार्थी ने गाली देने का विरोध किया तो उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने प्रार्थी को लात घूसों से मारा पीटा। प्रार्थी की घड़ी उतार ली और जेब में रखे लगभग 1100 रूपये भी निकाल लिये। प्रार्थी चीखने चिल्लाने लगा तो शोर शराबे पर आवाज सुनकर आसपास के लोग व राहगीर मौके पर आ गये, जिन्हें देखकर उपरोक्त सभी लोग मुकदमा वापिस न लेने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। विपक्षीगण प्रार्थी/रिवीजनकर्ता के लेन–देन के चलते आये दिन जान लेवा हमला करते रहते हैं और प्रार्थी के पैसे देने की मंशा नहीं है। प्रार्थी की दी हुई रकम वापस नहीं करना चाहते और प्रार्थी की पूर्व में रही पत्नी को मोहरा बनाकर उसके द्वारा प्रस्तुत मुकदमों का सहारा लेकर कोर्ट को गुमराह कर कार्यवाही से बच जाते हैं और प्रार्थी को धमकी देते हैं कि निगार फात्मा के किये मुकदमों से हम अपना बचाव भी करते रहेंगे। और तुझे बर्बाद व खत्म करके ही छोड़ेंगे। उपरोक्त परिवाद में भी विपक्षीगण ने निगार फात्मा के मुकदमों का सहारा लेकर कोर्ट को गुमराह कर परिवाद इस आधार पर खारिज करा लिया कि प्रार्थी/रिवीजनकर्ता दबाव बनाने की नियत से मुकदमा डाल रहा है। जबकि रिवीजनकर्ता ने मारपीट करने वालों को ही पक्ष बनाया था। निसार फात्मा घटना के समय मौजूद नहीं थी तो उसे पक्ष भी नहीं बनाया। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता को वक्त रहते इंसाफ नहीं मिला तो विपक्षी निगार फात्मा के मुकदमों की आड़ लेकर प्रार्थी को जान से मारने के मकसूद में कामयाब हो जाएंगे। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता ने

घटना को साबित करने के अपने कथन धारा 223 बी०एन०एस०एस० पत्रावली पर अंकित कराये व दो गवाह के बयान धारा 225 बी०एन०एस०एस० में पत्रावली पर अंकित कराये जिन्होंने घटना को पूर्ण रूप से साबित किया है। अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर कानून भूल की गयी है व अंकित बयानों को नजरअंदाज किया है। विधि विरूद्ध तरीके से एवं विधि व कानून के विपरीत दिनांक 16.03.2026 को आदेश पारित किया है जो खिलाफ कानून एवं खिलाफ वाक्यात है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता के विरूद्ध पारित परिवाद खारिज आदेश दिनांक 16.03.2026 निरस्त होने योग्य है।

3. विपक्षी सं० 6 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित आये और उनके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय का कथित आदेश, विधि के अनुरूप बताया गया एवं रिवीजनकर्ता का उक्त रिवीजन निरस्त किये जाने की याचना की।

4. प्रस्तुत निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.03.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अर्न्तगत निरस्त कर दिया गया था। निगरानी न्यायालय को प्रश्नगत आदेश की शुद्वता, वैद्वता, औचित्यता तथा कार्यवाही की नियमित्ता के सम्बन्ध में निष्कर्ष देना है। निगरानी न्यायालय को आलोच्य आदेश की वैधानिकता को जांचने हेतु निगरानी न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में किया गया है–

1– चन्द्र बाबू बनाम राज्य (2015) 8 एस०सी०सी० 774
2–विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, (2013) 5 एस०सी०सी० 762
3– अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र, (2012) 9 एस०सी०सी० 460
4–श्रीमती सावित्री देवी बनाम स्टेट आफ यू०पी०, 2014(84) ए०सी०सी० 81(ALL)

उक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि–

"Normally, revisional jurisdiction should be exercised on a question of law. However, when factual appreciation is involved, then it must find place in the class of cases resulting in a perverse finding. Basically, the power is required to be exercised so that justice is done and there is no abuse of power by the court. Merely an apprehension or suspicion of the same would not be a sufficient ground for interference in such cases."

5. परिवाद पर संस्थित वाद में न्यायालय किसी व्यक्ति को विचारण हेतु तलब कर सकता है, यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है तथा इस स्तर पर उपलब्ध परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य उपलब्ध है, न कि

दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय ने रिवीजनकर्ता/वादी का परिवाद धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निरस्त किया गया है। यहां धारा– 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है–

धारा–226 बी०एन०एस०एस०–परिवाद का खारिज किया जाना–यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर(यदि कोई हो),और धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अधीन जांच या अन्वेषण के(यदि कोई हो) परिणाम पर, विचार करने के पश्चात, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नही है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में विधि व्यवस्थायें दोहराई है कि फौजदारी मामलो में मुल्जिमान को तलब करना एक गंभीर मामला है और अगर मुल्जिमान तलब किये जाते है, तो आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है,यह दर्शित होना चाहिये और सभी साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से परिशीलन किये जाने जाने के उपरांत ही मुल्जिमान को तलब किया जाना चाहिये और अगर मजिस्ट्रेट का मत है कि मुल्जिमान को तलब करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है,तो मजिस्ट्रेट धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत मामले को खारिज भी कर सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स पैप्सी फूड लि० व अन्य बनाम स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट व अन्य 1998 UPCrR 118 सुप्रीम कोर्ट, पांल गर्ग बनाम स्टेट 2002 Cri.L.J 996 सुप्रीम कोर्ट, एस०एम०एस० फार्माक्यूटिकल लि० बनाम नीता भल्ला (2005) 8 SCC 89 व प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ०प्र०राज्य 2015(SCC) 287** में विधि व्यवस्था दी है।

8. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 17.02.2025 की घटना के बावत परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवाद में एवं निगरानी में यह तथ्य छिपाया है कि उसके द्वारा दर्ज मुकदमा 143/2024, अंतर्गत धारा–406,395,506 भा०दं०सं० में विवेचना के उपरांत 18.06.2024 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी थी। तब यदि मुकदमे में अन्तिम आख्या लगा दी गयी तो दिनांक 17.02.2025 को विपक्षीगण द्वारा उसे वापस लेने का दबाव बनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जबकि प्रत्यर्थीगण ने निगरानी की आपत्ति में निगरानीकर्ता पर उसकी पत्नी द्वारा दर्ज मुकदमे व परिवाद की नकल दाखिल की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया। निगरानी में

कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर आलोच्य आदेश की विधिसम्मता को प्रश्नचिह्न लगाया जा सके। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन है। विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमित्ता व अशुद्धता नहीं है और अवर न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय का आदेश स्थिर रहने योग्य है तथा रिवीजनकर्ता की ओर से प्रस्तुत रिवीजन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्रि० रिवीजन सं० 90/2026, **निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद सं० 156/2025 हिफजुल कबीर बनाम नदीम आदि थाना कोतवाली, जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांकित 16.03.2026, **पुष्ट** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांकः 03–08–2026

(सुमित पंवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 9, रामपुर।
J.O.Code–UP 2692

उक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 03–08–2026

(सुमित पंवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 9, रामपुर।
J.O.Code–UP 2692